राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 86,87,88,89 व 90/2015 ....जिला : अजमेर..............................

उनवान – मै0 अर्श विजन नया बाजार,अजमेर बनाम अपीलीय प्राधिकारी, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.2015	खण्डपीठ श्री मदन लाल–सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये प्राथना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1227/2015 से 1231/2015/अजमेर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 25.08.2015 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के अन्तर्गत वसूल योग्य विवादित राशि की वसूली कार्यवाही स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में निवेदन किया गया है कि खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 25.08.2015 की पालना में प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं होने तथा इसमें हो रहे विलम्ब के मद्देनजर प्रकरणों में दिये गये स्थगन की अवधि ओर बढ़ाई जावे। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरणों में पूर्व में दी गई समयावधि को बढाये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना–पत्रों पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता को सुनने तथा प्रकरण की विशिष्ठ परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार किये जाकर, माननीय कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1227/2015 से 1231/2015/अजमेर में पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 को प्रत्येक प्रकरण में दिनांक 18.02.2016 तक बढाया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति अपील संख्या 1227/2015 से 1231/2015/अजमेर में संलग्न की जावे। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाते है। 18-11-2015 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य 18.11.2015 (मदन लाल) सदस्य	